

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/ 05964-225234

पत्रांक: 2055/12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 13 अक्टूबर, 2025।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय : जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग लम्बाई 5 किमी० के निर्माण हेतु 1.89 है० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में (Online proposal No. FP/UK/ROAD/43777/2020)।

सन्दर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून का पत्रांक 85/12-1 देहरादून दि० 10.07.2025 व भारत सरकार का पत्रांक 8वी/यू०सी०पी०/०६/०९/२०१९/एफ०सी०/१०५६ दि० 23-12-2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में उच्च स्तर से उल्लेखित कमियों का निराकरण कर आख्या निम्नवत् प्रेषित है:-

क्र०सं०	आपत्ति	आख्या
1.	भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा चाही गयी सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्र दिनांक 16.06.2025 के साथ संलग्न आपका पत्र दिनांक 30.05.2025 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त के बिन्दु सं० 04 के क्रम में वृक्षारोपण की 10 वर्षीय वृक्षारोपण योजना नई प्रचलित दरों (वित्तीय वर्ष 2025-26) के अनुसार तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	विषयांकित प्रकरण में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड महोदय द्वारा माह मार्च, 2025 में निर्गत ओदशों के क्रम में संशोधित दरों के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण के 10 वर्षों की वृक्षारोपण योजना तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:- यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

संख्या:- /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।